अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–01, हरदोई।
प्रकीर्ण वाद संख्या–2645/2020
मोहम्मद आसिफ बनाम ताज मोहम्मद आदि

अन्तर्गत धारा–156 (3)दं0प्र0सं0
थाना–मल्लावां, जनपद हरदोई।

दिनांकः 18 नवम्बर, 2020

प्रार्थनापत्र पेश हुआ। आवेदक के प्रार्थनापत्र पर विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आवेदक मोहम्मद आसिफ की ओर से विपक्षीगण ताज मोहम्मद के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक की ओर से प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, पुलिस अधीक्षक, हरदोई को दिये गये प्रार्थनापत्र की प्रति व रजिस्ट्री रसीद को दाखिल किया गया है।

थाना से प्राप्त आख्या में प्रस्तुत प्रकरण के सम्बंध में किसी अभियोग के पंजीकृत होने का कोई उल्लेख नही है।

प्रार्थनापत्र के तथ्यों से विदित होता है कि आवेदक ने घटना का सम्पूर्ण विवरण प्रार्थनापत्र में अंकित कर दिया है तथा विपक्षीगण एवं साक्षीगण का विवरण भी प्रस्तुत किया है।

प्रकरण उपरोक्त में तथ्यों का विवरण आवेदिका व उसके गवाहान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से होगा। प्रत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना सम्भव्य प्रकट होता है, क्योंकि आवेदक को अभियुक्तगण का नाम पता व गवाहान के नाम ज्ञात हैं तथा प्रस्तुत प्रकरण में किसी नये तथ्य की खोज नही होनी है।

विधि व्यवस्था जे0आई0सी0 2002 पृष्ठ संख्या–853 (इलाहाबाद) गुलाब चन्द्र उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा एलिक पदमसी बनाम यूनियान आफ इण्डिया 2007 (6), (सुप्रीम कोर्ट)–171 तथा सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य–2007 (59) ए0सी0सी0 पृष्ठ संख्या–739, एवं रमेश भाई पाण्डू राव बनाम गुजरात राज्य ए0 आई0 आर0 (सुप्रीम कोर्ट)–1877 में सम्प्रेक्षित सिद्धान्त अवलोकनीय है।

विधि व्यवस्था सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 2007 (59) ए0 सी0 सी0 पृष्ठ संख्या–739 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्ड पीठ द्वारा अपने निर्ण के पैरा–22 में निम्नलिखित अवधारित किया गया हैः–

22. **Application under section 156(3) Cr.P.C. are now coming in torrents. Provision under section 156 (3) Cr. P.C. should be used sparingly. They should not be used unless there is something unusual or extra ordinary like miscarriage of Justice which warrants a directions to the police to register a case such application should not be allowed because the law provided them with an alternative remedy of filing a complaint, Therefore, resource should not normally be permitted for availing provisions of section 156 Cr.P.C.**

अतः वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

आवेदक मोहम्मद आसिफ की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156 (3) दण्ड प्रकिया संहिता को परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रकिया संहिता दिनांक 03.02.2021 को प्रस्तुत हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
न्यायालय संख्या–1,
हरदोई।